<u>समाचार</u>

प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर निगम द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाही
(प्लास्टिक जप्ती के साथ ही लगाया जा रहा अर्थदण्ड)

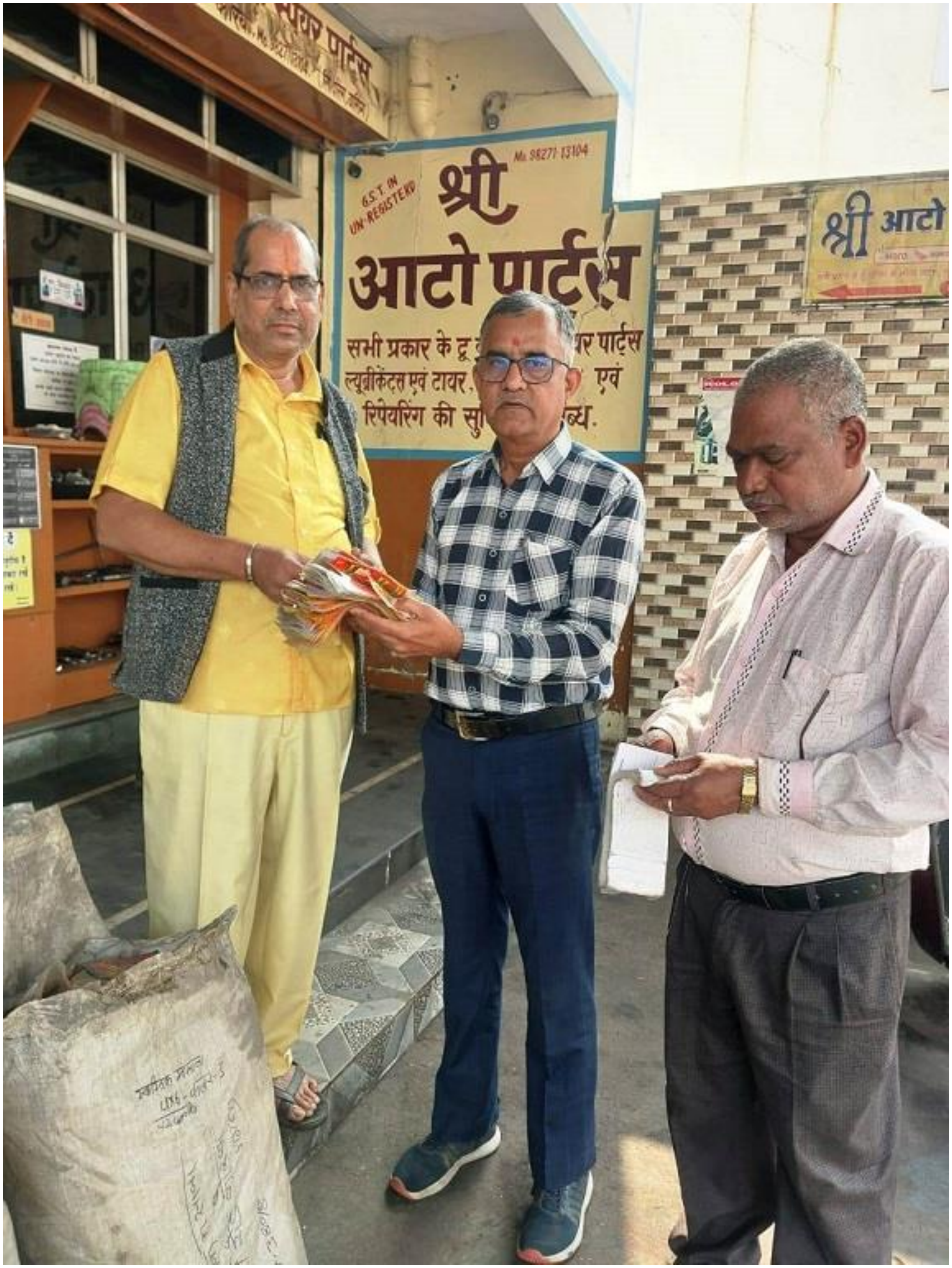

कोरबा 26 दिसम्बर 2024 – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में नगर निगम कोरबा द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भण्डारण पर लगातार कार्यवाही निगम के अमले द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में आज कोरबा पुराने

शहर स्थित स्वास्तिक मसाला प्रतिष्ठान में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने अमले के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया, काफी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व पैकिंग आयटम की जप्ती की तथा 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया।

यहॉ उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा अमानक व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भण्डारण व खाद्य पदार्थो का परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को रोकने की दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि आज कोरबा स्थित स्वास्तिक मसाला प्रतिष्ठान में निरीक्षण किया गया, जहॉ पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व पैंकिंग आयटम काफी मात्रा में पाया गया, जिसे जप्ती करते हुए प्रतिष्ठान पर 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

शुगर क्राउन बेकरी पर भी कार्यवाही – स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि विगत दिनों केन्द्रीय पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिक श्री संजय कुमार मुकाती एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी परमेन्द्र शेखर पाण्डेय की उपस्थिति में टी.पी.नगर स्थित शुगर क्राउन बेकरी पर भी कार्यवाही की गई थी, वहॉ से भी काफी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक की जप्ती करते हुए 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया था।

प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने अपील करते हुए कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, अतः प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग कदापि न करें। उन्होने कहा कि निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग रोकने लगातार कार्यवाही की जाएगी, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचने के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें तथा अपने कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त कोरबा बनाने में अपना सहयोग दें।